

दिनांक 08.10.2014 को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना की अध्यक्षता में ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट एवं एन.एम.एस.ए. योजना अन्तर्गत समेकित कृषि प्रणाली के तहत उद्यानिक फसलों के पैकेज प्रणाली के लिए इकाई लागत/अनुदान दर के निर्धारण हेतु आयोजित यूनिट कॉस्ट कमिटी की बैठक की कार्यवाही।

उपरिस्थिति :- संचिका में संधारित।

दिनांक 08.10.2014 को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना की अध्यक्षता में ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट के लिए इकाई लागत/अनुदान दर का निर्धारण एवं एन.एम.एस.ए. योजनान्तर्गत समेकित कृषि प्रणाली के तहत उद्यानिक फसलों (आम तथा आँवला) के पैकेज प्रणाली के लिए लागत मूल्य दर के निर्धारण हेतु आयोजित विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी की बैठक में विभिन्न अवयवों के लिए बाजार दर पर अनुमानित लागत मूल्य, भारत सरकार द्वारा MIDH/NMSA निर्धारित इकाई लागत एवं प्रस्तावित अनुदान दर की जानकारी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

बैठक की कार्यवाही निम्न प्रकार है:-

1. सर्वप्रथम नोडल पदाधिकारी द्वारा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजनान्तर्गत गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किये गये अन्तर के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। जानकारी दी गयी कि सूक्ष्म सिंचाई योजना वर्ष 2006-07 से बिहार राज्य में लागू किया गया है। प्रारम्भ के वर्षों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के लिए भारत सरकार द्वारा उनके निर्धारित मूल्य का 40% और राज्य सरकार द्वारा 20% अनुदान की व्यवस्था की गयी थी। शुरूआती वर्षों में योजना की प्रगति संतोषप्रद नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना में मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त राज्य संसाधन से अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करते हुए राज्य में लघु एवं सीमान्त किसानों को 90% तथा अन्य किसानों को 80% अनुदान दिया गया जिसके कारण योजना में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति प्राप्त की जा सकी। यह सहायतानुदान में वृद्धि एवं किसानों एवं किसानों में जागरूकता के कारण ही संभव हो पाया है।
2. नोडल पदाधिकारी, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजनान्तर्गत DPAP/DDP क्षेत्र के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को अनुदान की राशि का 50% अन्य किसानों को 35% तथा Non DPAP/DDP क्षेत्र के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को अनुदान की राशि का 35% एवं अन्य किसानों को 25% भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है जबकि इन दोनों क्षेत्रों के सभी प्रकार के कृषकों के लिए अतिरिक्त 10% अनुदान की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान है। यह अनुदान प्रतिशत भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत दर पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से इस योजना में वर्णित अवयवों का इकाई लागत एवं अनुदान दर भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रचलित सहायतानुदान राशि में से कमी करते हुए परिवर्तित कर दिया गया है।

बाजार दर पर अनुमानित लागत मूल्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई मूल्य की तुलना किये जाने पर वास्तविक सहायतानुदान प्रतिशत ड्रिप सिंचाई (Closed Space) के लिए 21.79%, ड्रिप सिंचाई (Wide Space) के लिए 24.97% पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए 23.14% तथा लार्ज भॉल्यूम स्प्रिंकलर रेनगन के लिए 24.45% के लगभग होता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत सहायतानुदान 40% से कम है। इस परिस्थिति में राज्य योजना से देय अतिरिक्त सहायतानुदान में भी अपेक्षित परिवर्तन की आवश्यकता है।

